

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 443/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

खिवनी पुत्री मुकना पत्नी मघाराम जाति मेघवाल निवासी भैरुपुरा सिलवानी तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

-वादी

बनाम

1. श्योकोरी उर्फ शान्ती देवी पत्नी मुकनाराम हाल पत्नी चौखा जाति मेघवाल निवासी धीरदेसर हाल निवासी 3 टी के श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादी

श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 20/9/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धीरदेसर के ख.नं. 6 की 4.553 है., 752/9 की 0.0400 है. कुल 4.593 है. भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20/9/24
..... को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

